सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या- 17/2017/484/**33-3-2017-339/2016**

प्रेषक,

राहुल भटनागर
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक 30 मार्च, 2017**

विषय-"विमुद्रीकरण" (Demonetization) पर प्रदेश स्तर पर जागरूकता अभियान के आयोजन एवं पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा विमुद्रीकरण पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है जिसका पर्याय देश में वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसके लिए आवश्यक है कि समाज़ के सभी वर्गों को कम नगद पर आधारित अर्थव्यस्था से संबंधित लाभ के विषय पर शिक्षित किया जाये तथा उन्हें डिजिटल आधारित वित्तीय लेन-देन के उपयोग हेतु सशक्त किया जाये।

समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं को संबोधित करने हेतु विभिन्न डिजिटल विकल्प मौजूद है जैसे-

1. **जिन लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है उनके लिए "आधार" कार्ड से Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) एप्लीकेशन के द्वारा ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध है। प्रीपेड़/डेबिट कार्ड और बैंक के माध्यम से भी यह सुविधा उपलब्ध है।**
2. **जिनके पास साधारण मोबाइल फोन की सुविधा है वो USSD (*99#) के द्वारा एस0एम0एस0 के माध्यम से पैसे का ट्रांजेक्शन करते है।**
3. **जिनके पास स्मार्ट फोन है वह Unified Payment Interface (UPI) के द्वारा बैंक एकाउन्ट से सीधे ट्रांजेक्शन करते है।**
4. **जो कम्प्यूटर के जानकार है उनके लिए नेट बैंकिग की सुविधा उपलब्ध है।**

नीति आयोग द्वारा सभी राज्यों से अपेक्षा की गयी है कि समस्त विभागों के कर्मचारी, संम्बद्ध अधिकारी और पी0एस0यू0 को न सिर्फ डिजिटल ट्रांजेक्शन पर प्रशिक्षित किया जाये

अपितु अन्य लोगों को भी डिजिटल ट्रांजेक्शन के प्रति प्रोत्साहित किया जाये। पंचायती राज संस्थायें विमुद्रीकरण पर ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी के प्रचार-प्रसार एवं क्षमता विकास हेतु एक प्रभावकारी मंच प्रदान करेंगी।

उक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी जनपदों द्वारा "विमुद्रीकरण" पर जागरूकता पैदा करने और पंचायत प्रतिनिधियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा ग्राम सभाओं की बैठक के आयोजन का एक्शन प्लान जनपदों द्वारा नीचे दी गयी समय-सारिणी के आधार पर तैयार किया जायेगा-

जिला पंचायत प्रतिनिधियों /कर्मियों हेतु जागरूकता कार्यक्रम	क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों /कर्मियों हेतु जागरूकता कार्यक्रम	समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन
15 से 18 अप्रैल, 2017	19 से 25 अप्रैल, 2017	26 अप्रैल, 2017 से 15 मई, 2017

विमुद्रीकरण सम्बन्धी आवश्यक पठन सामग्री नीति आयोग की वेबसाइट (http://niti.gov.in/content/digital-payments) पर उपलब्ध है जिसे आवश्यकता नुसार स्थानीय भाषा में अनुवाद कर उपयोग में लाया जा सकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त बैकों, स्वयं सहायता समूहों, एन0आई0आर0डी0 एवं पी0आर0, हैदराबाद, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान की भी सहायता ली जा सकती है। इसके अतिरिक्त कॉरपोरेट कम्पनियों का भी चयन करें जो स्वयं के पास उपलब्ध सी0एस0आर0 के फंड का उपयोग प्रशिक्षण हेतु कर सकती है। जनपदों पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों में आने वाले खर्च का वहन राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के प्रशिक्षण मद में उपलब्ध धनराशि के द्वारा किया जायेगा।

जागरूकता अभियान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति रिर्पोट जनपदों द्वारा rgsa.up@gmail.com और up.panchayatiraj@gmail.com पर 20.04.2017/ 30.04.2017 एवं 20.05.2017 तक मेल द्वारा भेजी जायेगी तथा समस्त जनपदों द्वारा रिर्पोट भेजने हेतु दी गयी समयावधि का कड़ाई से पालन किया जायेगा। जनपदों द्वारा रिर्पोट निम्न प्रारूप पर भेजी जायेगी-

निर्मित कुल एक्शन प्लान की संख्या		जिला पंचायतों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या	जनपदों की संख्या जहॉ प्रशिक्षण आयोजित हुए है	क्षेत्र पंचायतों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या	विकास खण्डों की संख्या जहॉ प्रशिक्षण आयोजित हुए है
जि.पं.					
क्षे.पं.					
ग्रा.पं.					

आयोजित ग्राम सभाओं की संख्या	जनपदों की संख्या जहॉ ग्राम सभा का आयोजन हुआ है	जनपदों की संख्या जहॉ ग्राम सभा का आयोजन नहीं हुआ है

अभियान की संक्षिप्त रिर्पोट समस्त जनपदों द्वारा भारत सरकार को दिनांक 25 मई, 2017 तक भेजी जानी है।

अत: अनुरोध है कि विमुद्रीकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य एक अभियान के रूप में पूरे प्रदेश में किया जाये जिससे लोग विमुद्रीकरण के लाभ तथा डिजिटल भुगतान एवं कम नगद पर आधारित अर्थव्यवस्था के प्रकार व लाभ के प्रति जागरूक हो सकें।

भवदीय

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांक:- तदैव।</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

1. श्री जितेन्द्र शंकर माथुर, सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, नीति आयोग, भारत सरकार।
3. श्री खुशवन्त सिंह, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास एवं स्वास्थ्य विभाग, उ.प्र. शासन।
6. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ.प्र.।

7. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
9. समस्त मंडलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
10. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ.प्र.।

आज्ञा से,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।